

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 882 /925/2022/38-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 27/06/2022

- (1) समस्त कुलसचिव,
शासकीय / निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
- (2) समस्त प्राचार्य,
शासकीय/ अशासकीय अनुदान प्राप्त/ अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) के क्रियान्वयन बावत ।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) का शुभारंभ किया गया है । इस अभियान के माध्यम से समयबद्ध कार्ययोजना अनुसार प्रदेश के समस्त नागरिकों को ऊर्जा साक्षर किया जाना है । राज्य शासन द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) को मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है । ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) से जुड़ने हेतु वेब पोर्टल www.usha.mp.gov.in पर Login किया जा सकता है । ऊर्जा साक्षरता अभियान के सुचारू क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन की मंशा अनुसार निम्न कार्यवाही अतिशीघ्र सुनिश्चित की जानी है :-

1. ऊर्जा साक्षरता अभियान का विद्यार्थियों के मध्य पर्याप्त प्रचार-प्रसार ।
 2. सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार सभी अधिकारी / कर्मचारियों का ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत प्रमाणीकरण ।
 3. विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का "ऊषा" प्रमाणीकरण ।
 4. जिला स्तर पर ऊषा मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण, जो विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में ऊषा अभियान का प्रशिक्षण देंगे ।
 5. सभी कक्षाओं में चयनित विद्यार्थियों को "ऊषा मित्र" बनाया जाए, जो अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों से ऊषा अभियान की जानकारी साझा करेंगे ।
 6. ऊर्जा साक्षरता अभियान में जुड़ने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणेत्तर गतिविधियों (Extra Curricular Activities) में विशेष प्रोत्साहन ।
 7. ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ने, प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं प्रमाणीकरण हेतु गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध UShA मोबाईल एप्स का विद्यार्थियों के मध्य व्यापक प्रचार -प्रसार ।
 8. अभियान के संबंध में जागरूकता हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन ।
- ऊर्जा साक्षरता अभियान के सुचारू क्रियान्वयन हेतु उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए ।

(डॉ. आलोक निगम)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर ...2...

पृ. क्रमांक: 883 /925/2022/38-2

भोपाल, दिनांक: 27/06/2022

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय ।
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
 3. प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, शिवाजी नगर , भोपाल ।
 4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

27.06.22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग